न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 140 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. धर्माराम पुत्र थानाराम
   जाति जाट निवासी हेमाणीनाडी ग्राम पंचायत आकुओं की ढाणी तहसील [illegible] जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. निम्बाराम पुत्र [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible]
3. [illegible] पुत्र [illegible]
4. [illegible] पुत्र [illegible]
5. [illegible] पुत्र [illegible]
6. [illegible] पुत्र [illegible]
7. [illegible] पुत्र [illegible]
8. [illegible] पुत्र [illegible]
9. [illegible] पुत्र [illegible]
10. [illegible] पत्नी [illegible]
11. [illegible] पुत्र [illegible]
12. [illegible] पुत्र [illegible]
13. [illegible] पुत्र जैताराम
14. [illegible] पुत्र जैताराम
15. [illegible] पुत्र निम्बाराम
16. [illegible] पुत्र निम्बाराम
17. [illegible] पुत्र निम्बाराम
18. [illegible] पुत्र [illegible]
19. [illegible] पुत्र [illegible]
20. [illegible] पुत्र [illegible]
21. [illegible] पुत्र [illegible]
22. [illegible] पुत्र [illegible]
23. [illegible] पुत्र [illegible]
24. [illegible] पुत्र [illegible]
25. [illegible] पुत्र [illegible]
26. [illegible] पुत्र [illegible]
27. [illegible] पत्नी [illegible]
    जाति जाट निवासी आकुओं की ढाणी व हेमाणीनाडी तहसील [illegible] जिला बाड़मेर
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार [illegible]

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री [illegible] चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

-: आदेश :-

दिनांक :- 11.10.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:55:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण [illegible] धारा 111 सपठित धारा 128 राभूरा अधिनियम [illegible] जरिये [illegible] का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 9 ता 14 की ओर से वकील [illegible] द्वारा वकालातनामा पेश किया परन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। शेष विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2070–2073 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा ढेलाणी नाडी के खेत खसरा नम्बर 796/640 रकबा 12.2620 हैक्टेयर एवं 797/650 रकबा 6.3050 हैक्टेयर एवं ग्राम धोलानाडा के खेत खसरा नम्बर 503/209 रकबा 2.3715 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा ढेलाणी नाडी के खेत खसरा नम्बर 796/640 रकबा 12.2620 हैक्टेयर एवं 797/650 रकबा 6.3050 हैक्टेयर एवं ग्राम धोलानाडा के खेत खसरा नम्बर 503/209 रकबा 2.3715 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:55:37 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक .... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी